



हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 27.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है:-

01.थाना जहानागंज: घर से चोरी गये आभूषण के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 25.12.2024 को थाना जहानागंज के वादिनी विमला देवी पत्नी स्व० बलजीत सिंह ग्रा० टड़वा पो० शेरपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 22.12.2024 की रात्रि में वादिनी के मकान के छत की सीढ़ी के रास्ते घर में उतर बक्से व आलमारी का ताला तोड़कर उसमें से 12,000/- रू० (बारह हजार रूपये), 02 जोड़ी पायल, 01 जोड़ा कान का व लाकेट चुरा ले जाने के सम्बन्ध में मु०अ०सं०- 628/24 धारा 331(4), 305 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ०नि० सुधांशु मिश्रा द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 27/12/24 को उ०नि० सुधांशु मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. चंद्रजीत पुत्र त्रिवेणी यादव निवासी ग्राम टड़वा थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष, 2. चंद्रशेखर यादव पुत्र त्रिवेणी यादव निवासी ग्राम टड़वा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष को चोरी गये आभूषण 02 पायल सफेद धातु की व 02 कान में पहनने का आभूषण पीली धातु का व 01 गले में पहनने का आभूषण पीली धातु का व एक चाकू के साथ स्थान भीखमपुर के पास से समय 10.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जहानागंज पर मु०अ०सं०- 629/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय किया गया है।

आपराधिक इतिहास:-

- मु०अ०सं०- 628/24 धारा 331(4), 305, 317(2) BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- मु०अ०सं०- 629/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- मु०अ०सं०- 102/16 धारा 457/380/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

- चंद्रजीत पुत्र त्रिवेणी यादव निवासी ग्राम टड़वा थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष,
- चंद्रशेखर यादव पुत्र त्रिवेणी यादव निवासी ग्राम टड़वा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 01- 02 पायल सफेद धातु की व 02 कान में पहनने का आभूषण पीली धातु का
- 02- 01 गले में पहनने का आभूषण पीली धातु का व एक चाकू।



02. थाना- जीयनपुर: पता बदल-बदल कर 04 फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 26.12.2024 को आवेदक उ0नि0 जाफर खान चौकी प्रभारी लाटघाट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिया गया कि पत्र सं0 पासपोर्ट सेल (सोशल मीडिया एक्ट) 2024 दिनांक 25/11/24 के माध्यम से मीडिया एक्ट यूजर ID यूथ फोर bjp के द्वारा आजमगढ़ पुलिस के सोशल मीडिया पर शिकायत कर पासपोर्ट धारक प्रभुनाथ यादव पुत्र त्रिलोकी यादव निवासी मोहम्मदपुर कोडरा थाना जीयनपुर आजमगढ़ की जाँच व क्षेत्र भ्रमण से ज्ञात हुआ कि प्रभुनाथ यादव उपरोक्त अपना 04 पासपोर्ट बनवाया है जिसके पासपोर्ट सं0वी 450129 जारी दिनांक 13/6/1996 जन्म तिथि 1/9/1976 पता मोहम्मदपुर कोडरा पोस्ट डिघवनिया काजी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जारी स्थान लखनऊ 2-पासपोर्ट सं0ई-2306352 जारी दिनांक 10/6/2002 जन्म तिथि 1/9/1976 ग्राम चक्की हाजीपुर थाना रौनापार आजमगढ़ जारी स्थान लखनऊ 3- पासपोर्ट सं0एच 5122388 जारी दिनांक 2/7/2009 जन्म तिथि 2/4/1975 बदला नाम दीनानाथ यादव मझवलिया PS बडहलगंज गोरखपुर जारी स्थान लखनऊ 4-पासपोर्ट सं0 पी-0847832 जारी दिनांक 14/6/2016 जन्म तिथि 1/1/1964 पता ग्राम चुटही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ जारी स्थान लखनऊ है उक्त प्रकरण की जाँच मेरे द्वारा पूर्व की गयी थी जिसकी जाँच आख्या क्षेत्राधिकारी सगडी को भेजी गयी थी जिसके आधार पर श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में FIR दर्ज करने हेतु दिनांक 23/12/2024 को आदेशित किया गया है के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 569/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि व 12(1)B/ 12(3) पासपोर्ट अधि0 1967 बनाम प्रभुनाथ यादव पुत्र त्रिलोकी यादव निवासी मोहम्मदपुर कोडरा थाना

जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 सुभाष तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही है।
विवेचना के क्रम मे-

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 27.12.2024 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रभुनाथ यादव पुत्र त्रिलोकी यादव निवासी मोहम्मदपुर कोड़रा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को लाटघाट बाजार के पास से समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तारी कर पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. प्रभुनाथ यादव पुत्र त्रिलोकी यादव निवासी मोहम्मदपुर कोड़रा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 569/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि व 12(1)B/ 12(3) पासपोर्ट अधि0 1967 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़



03. थाना- मेंहनगर: प्रतिबंधित मांस व उपकरण के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 26.11.2024 को SHO अनुराग कुमार मय हमराह उ0नि0 अवधेश नरायन दूबे, को सूचना मिली कि ग्राम विषहम में हासिम S/O शाह आलम के घर में प्रतिबंधित मांस काटा जा रहा है जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है इस सूचना पर तत्काल पुलिस ग्राम विषहम में हासिम के घर के पास पहुँचकर मौके पर हासिम S/O स्व0 शाहआलम R/O विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ को गिरफ्तार किया गया तथा शेष चार लोग 1.सलमान S/O स्व0 शाहआलम R/O विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ 2. नदीम S/O कल्लू R/O विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ बताया तथा शेष दो व्यक्तियो नाम पता अज्ञात फरार हो गये। गिरफ्तार अभियुक्त के घर फिल्ड यूनिट की उपस्थिति में 53 किलो ग्राम प्रतिबंधित मांस, दो चापड (बडा) एक छुरा(चाकू) एक स्टील का राड बरामद 53 kg के साथ समय करीब 17.00 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मेंहनगर पर पर मु0अ0सं0 541/24 धारा 3/5/8 गोबध निवारण अधि0 बनाम . हासिम पुत्र स्व0 शाहआलम सा0 बिषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 2.नदीम पुत्र कल्लू सा0 बिषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 3. सलमान पुत्र स्व0 शाहआलम सा0 बिषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 4. दो व्यक्ति का नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।



04.थाना- कोतवाली: कार्य सरकार में बाधा पहुँचाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना / इतिहास –

दिनांक- 25.12.24 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह द्वारा बवाली मोड थाना कोतवाली आजमगढ पर मौजूद थे कि समय 20.47 बजे इवेन्ट सख्या 48xxx के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि धोबियाना गली कोल बाज बहादुर प्राइमरी स्कूल के पास थाना कोतवाली (प्रांजल यादव S/O राजाराम) स्थित घर मे राजाराम यादव व पत्नी संगीता यादव के बीच मारपीट हो रही है। इस सूचना पर मय PRV वाहन को लेकर प्राइमरी स्कूल के पास पहुचा जहां पर PRV वाहन को खड़ा कर हम लोग कालर के घर पहुचे जहां पर कालर से नाम पता पूछा गया इस पर वहां मौजूद राजाराम यादव व उसके भाई राणा प्रताप यादव हम पुलिस वालों को देखकर आक्रोशित हो गये और हम पुलिस वालो को भला बुरा तथा देख लेने की धमकी देते हुए भागने लगे। जिन्हे रोकने का प्रयास हम लोगो द्वारा किया गया तो ये दोनो गाली देते हुए हम लोगे के ऊपर जान से मारने की नीयत से ईट से हमला कर दिये जिससे हम लोग अपना बचाव किये परन्तु पास मे खड़ी PRV वाहन की सामने के शीशा पर राणा प्रताप यादव द्वारा ईट से मारा गया जिससे गाड़ी का आगे का शीशा टूट गया इस प्रकार राणा प्रताप यादव सरकारी कार्य मे बाधा पहुचाया गया व पुलिस PRV कर्मी के सा अमर्यादित व्यवहार व जान से मारने की नीयत से हमला किया गया PRV वाहन के सामने मुख्य शीशा टूटने के कारण PRV वाहन संख्या क्षतिग्रस्त हो गयी है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 673/24 धारा 132,324(4),352,351(3) बीएनएस दि. 26.12.24 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 27.12.24 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 1. राजाराम यादव पुत्र रामवृक्ष यादव नि. कोल बाजबहादुर उम्र 36 वर्ष, 2. राणा प्रताप यादव पुत्र रामवृक्ष यादव नि. कोल बाजबहादुर उम्र 34 वर्ष थाना कोतवाली आजमगढ को समय 11.30 बजे अभियुक्त के घर ग्राम कोल बाजबहादुर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. राजाराम यादव पुत्र रामवृक्ष यादव नि. कोल बाजबहादुर उम्र 36 वर्ष,
2. राणा प्रताप यादव पुत्र रामवृक्ष यादव नि. कोल बाजबहादुर उम्र 34 वर्ष थाना कोतवाली आजमगढ



05.थाना- तरवा: चोरी/नकबजनी के कुल 04 घटनाओं का सफल अनावरण में 04 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, चोरी गये सामान, चोरी करने के उपकरण, अवैध असलहा व कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त 01 डीसीएम वाहन बरामद ।

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में दिनांक- 26.12.24 को थाना तरवां जनपद आजमगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी / नकबनजी के कुल 04 घटनाओं का सफल अनावरण व अभियुक्तगण को कब्जे से 02 देशी तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है ।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक- 26.12.2024 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह, उ0नि0 अरविन्द सिंह, उ0नि0 शिवम द्विवेदी मय हमराह द्वारा चेकिंग से ग्राम कोटीया खुटहन मोड से समय करीब 11.30 बजे से अभियुक्तगण 12 सरिया GALANTT 550-08 MM, एक लोहे की खिड़की, 02 टीन, 02 साडी 01 जोडी पायल सफेद धातु व 500 रूपया नगद , 02 साडी 600 रूपया नगद , व 02 साडी 02 जोडी पायल सफेद धातु व 550 रूपया नगद , 02 0.315बोर नाजायज असलहा व 02 0.315 बोर जिन्दा कारतूस , सीजशुदा व घटना में प्रयुक्त 01 DCM टाटा 1109 वाहन UP62T5916 सीज के साथ 04 अभियुक्तो को

- 1.डिम्पू यादव पुत्र शिवसागर यादव नि0 ग्राम परसूपुर (रासेपुर) थाना तरवा आजमगढ
2. ध्यान यादव पुत्र पारस यादव नि0 ग्राम टोडरपुर थाना मेहनगर आजमगढ
3. डेभा यादव पुत्र कल्पू यादव नि0 ग्राम ऐरा कला थाना तरवा आजमगढ
4. विशाल सिंह पुत्र स्व0 रामअवध सिंह नि0 ग्राम रासेपुर थाना तरवा आजमगढ

अपराध करने का तरीका-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग रात्रि में चिह्नित जगहों पर जाते है और जिस घर में ताला लगा होता है उसके घर का चैनल व दरवाजा तोड़कर घर में रखे आलमारी, बक्सा व अन्य कीमती सामान अन्य सामान को चुरा कर भाग जाते है । इस प्रकार हम लोगो द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जाता था।

बरामद आभूषणों व नकदी से सम्बन्धित 04 अभियोगों के अनावरण का विवरण-

थाना तरवां- 04

अनावरण अभियोगों का विवरण-

1. मु0अ0सं0 215/2024 धारा 303(2) 324(3) बी0एन0एस0 थाना तरवां आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 289/2024 धारा 305 बीएनएस थाना तरवां आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 293/2024 धारा 305,331(4) बीएनएस थाना तरवां आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 308/2024 धारा 305 बीएनएस थाना तरवां आजमगढ़ ।

1. आपराधिक इतिहास-01 डिम्पू यादव पुत्र शिवसागर यादव व 02.विशाल सिंह पुत्र स्व0 रामअवध सिंह

क्र.सं.	मु0अ0सं0 धारा	थाना	जनपद
1	289/2024 305 , 317(2), 317(4)	बी0एन0एस0	तरवां आजमगढ़
2	291/24 303(2) , 317(2), 317(4)	बी0एन0एस0	तरवां आजमगढ़
3	293/24 305, 331(4), 317(2), 317(4)	बी0एन0एस0	तरवां आजमगढ़
4	215/24 303(2), 324(2), 317(2), 317(4)	बी0एन0एस0	तरवां आजमगढ़
5	353/24 3/25 आर्मस एक्ट		तरवां आजमगढ़
6.	308/24 305 बीएनएस		तरवां आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-03. ध्यान यादव पुत्र पारस यादव व 04.डेभा यादव पुत्र कल्पू यादव

क्र.सं.	मु0अ0सं0 धारा	थाना	जनपद
1	289/2024 305 , 317(2), 317(4)	बी0एन0एस0	तरवां आजमगढ़
2	291/24 303(2) , 317(2), 317(4)	बी0एन0एस0	तरवां आजमगढ़
3	293/24 305, 331(4), 317(2), 317(4)	बी0एन0एस0	तरवां आजमगढ़
4	215/24 303(2), 324(2), 317(2), 317(4)	बी0एन0एस0	तरवां आजमगढ़



06.थाना- कप्तानगंज: किशोरी के साथ दुराचार करने वाला एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक- 05.12.24 को वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 29.11.2024 को एक बाल अपचारी द्वारा वादिनी के नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-399/24 धारा 187,137(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 काशी नाथ यादव द्वारा की जा रही है। अब तक की विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 BNS एवं 3/4 पास्को एक्ट की बढोत्तरी किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना बाल अपचारी के विरुद्ध प्रचलित है।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण-

आज दिनांक 27.12.2024 को उ0नि0 काशीनाथ यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित एक नफर बाल अपचारी को थाना गेट सिन्धू की चाय की दुकान के पास से नियमानुसार समय करीब 12.10 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- बाल अपचारी